

उ० प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार,

लखनऊ- 226001

दूरभाष नं० 0522-2288187

फैक्स नं० 0522-2288195

सं० 2138 /ट्रस्ट/

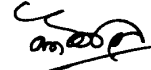
दिनांक:- 21/12/11

अधिशाली अभियन्ता,
यूनिफाइड स्कीम,
कक्ष सं० 407,
शक्ति भवन,
लखनऊ

विषय:- दिनांक 21.07.2011 को सम्पन्न उ०प्र० राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट की बैठक का कार्यवृत्त कारपोरेशन वेबसाइट पर डालने के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट की 14वीं बैठक जो कि दिनांक 21.07.2011 को परिषद कक्ष में सम्पन्न हुई के कार्यवृत्त की प्रति आपको इस आशय के साथ के प्रेषित की जा रही है कि कारपोरेशन की वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार


(आई० एम० कौशल)
सचिव

सं० /ट्रस्ट/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


(आई० एम० कौशल)
सचिव

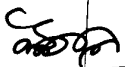
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ स्थित परिषद कक्ष में दिनांक 21.07.2011 को सम्पन्न उ०प्र० राज्य पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट के ट्रस्टीज की 14 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित:-

1.	श्री नवनीत सहगल	सचिव, ऊर्जा, उ०प्र० शासन एवं	अध्यक्ष
2.	श्री आलोक टंडन	अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	ट्रस्टी
3.	श्री एस० के० अग्रवाल	अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन	ट्रस्टी
4.	श्री जे०एम०एल० वैश्य	निगम लि० एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०	ट्रस्टी
5.	श्री महेंद्र राय	निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०	ट्रस्टी
6.	श्री नन्दलाल	अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद एसोशिएशन	ट्रस्टी
7.	श्री आई० एम० कौशल	टी०जी०-II, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा	विशेष
		निदेशक, (कार्मिक एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन	आमन्त्री
		लि०	संयोजक
		सचिव एवं प्रबन्धक (ट्रस्ट)	

प्रस्ताव	निर्णय
ऐजेण्डा आइटम नं० 1 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सम्बन्ध में सूचना	श्री इन्द्रासन सिंह, वेल्डर, पनकी तापीय परियोजना, कानपुर इम्पलाई ट्रस्टी के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त ट्रस्टी के स्थान पर अन्य किसी कार्मिक को नामित किये जाने तथा जल विद्युत निगम लि० के इम्पलाइ ट्रस्टी को भी शीघ्रतिशीघ्र नामित करने की कार्यवाही सम्बन्धित निगमों से कराये जाने के निर्देश दिये गये।
ऐजेण्डा आइटम नं० 2 मेसर्स मनोज भटनागर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट को वित्तीय वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लिए संप्रेक्षक नियुक्त किया जाना।	कार्येत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
ऐजेण्डा आइटम नं० 3 ट्रस्ट के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लेखों का अंगीकृत किया जाना।	संकल्प लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के लेखे एतद्वारा अनुमोदित तथा अंगीकृत किये जाते हैं।
ऐजेण्डा आइटम नं० 4 शासन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के तीनों निगमों के कार्मिकों के पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के विघटन दिनांक 14.01.2000 तक के सा० भ० नि० रू० 1634.49 करोड़ के संचित दायित्वों को वहन किये जाने के सम्बन्ध में।	संज्ञान में लिया।

ऐजेण्डा आइटम सं० 5 सा०म०नि० ट्रस्ट के पृथक खातो का परिचालन सा०म०नि० के अग्रिम एवं अन्तिम आहरणों की धनराशि का अन्तरण निगमों के ब्रान्च खातो में पूर्व में निर्धारित व्यवस्था को समाप्त करते हुए ट्रस्ट के निम्नलिखित बैंको के माध्यम से पृथक खाते वर्ष 2009-10 से परिचालित हैं:- (1) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2) सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (3) इलाहाबाद बैंक (4) आई०सी०आई०सी०आई० बैंक (5) इण्डियन ओवरसीज बैंक	कार्येत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि वितरण खाते राष्ट्रीयकृत बैंको में ही खोले जाये।
ऐजेण्डा आइटम सं० 6 उ०प्र० राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट डीड में संशोधन	ट्रस्टीज द्वारा प्रकरण में निम्न संकल्प पारित किया:- "संकल्प लिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य पावर सेक्टर इम्प्लाइज जनरल प्रोविडेन्ड फण्ड रूल्स, 2000 के क्लॉज 11 (a) अथवा ट्रस्ट डीड में जहां कहीं भी दिया हो " The Company Secretary of UPPCL shall function as Secretary of the Board" अथवा बोर्ड आफ ट्रस्टीज की 9 वीं बैठक दिनांक 04.09.2001 में निम्नवत संशोधित "The Board of Trustee shall appoint Secretary Trust, the person so appointed should hold membership of the Company Secretary ship of India." के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाये:- "ट्रस्ट में सचिव पद पर महाप्रबन्धक (वित्त)/उपमहाप्रबन्धक(वित्त)/उपमुख्यलेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा) के स्तर के पदासीन अधिकारी, जिनकी उक्त किसी एक पद पर अथवा तीनों पर कुल कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो, को नियुक्त/नामित करने का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में निहित होगा"
ऐजेण्डा आइटम सं० 7 एक्चुरियल वैल्युएशन कराया जाना।	ट्रस्टीज द्वारा निर्णय लिया गया कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उसकी सहयोगी कम्पनियों, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के लिए एक्चुरियल वैल्युएशन में एकरूपता को बनाये रखने के उद्देश्य से उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० स्तर से Acturial Valuation LIC of India अथवा अन्य किसी Competent संस्था से करा लिया जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि वर्णित कार्यवाही निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के स्तर से करायी



ऐजेण्डा आइटम सं0 8 पेंशन वितरण हेतु धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।	एक्चुरियल वैल्युएशन होने के पश्चात् शासन द्वारा धारित दायित्व के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।
ऐजेण्डा आइटम सं0 9 निवेश की स्थिति	ट्रस्टीज द्वारा वर्तमान में बैंको की ब्याज दरों में वृद्धि को संज्ञान में लेते हुए विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्देश दिये कि जिन बैंको में 8 प्रतिशत से कम ब्याज दर पर धन जमा है को Encash कराके उच्च दरों पर जमा करने की कार्यवाही की जाये ताकि ट्रस्ट को अधिकतम ब्याज अर्जित हो सके।
ऐजेण्डा आइटम सं0 10 समय-समय पर सचिव (ट्रस्ट) के कार्यों के निष्पादन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञापों का अनुसमर्थन। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 4552-अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2008 दिनांक 20.10.2008 के द्वारा श्री प्रदीप कुमार माहेश्वरी (76013) अधीक्षण अभियन्ता एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 1275-अ0प्र0 (2अ)/पाकालि/2008 दिनांक 21.03.2009 के द्वारा श्री इन्द्रमोहन कौशल, उपमुख्य लेखाधिकारी को सचिवीय कार्यों को अन्तरिम व्यवस्था के अर्न्तगत निर्वहन करने का आदेश किया गया है।	कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

ह0
(आई0 एम0 कौशल)
सचिव

ह0
(नवनीत सहगल)
अध्यक्ष